भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2340
गुरूवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक)

अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार

2340. श्री चंद्रकांत दामोदर हंडोरे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संगठित उद्योग में सुधारों की शुरुआत के बाद से अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार के अवसर क्रमशः घट रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में नियोजित अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार ने उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए हैं**?**

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग)**:** रोजगार और बेरोजगारी का डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। सर्वेक्षण की अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए रोजगार दर्शाने वाली श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) तथा बेरोजगारी दर (यूआर) सामान्य स्थिति के आधार पर निम्नानुसार है:

(%) में

संकेतक/वर्ष	2017-18	2023-24
एलएफपीआर	37.6	45.1
डब्ल्यूपीआर	35.2	43.6
यूआर	6.3	3.3

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अनुसूचित जाति (एससी) के लिए, वर्ष 2017-18 से 2023-24 के दौरान एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर में वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान यूआर में कमी आई है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

जहां तक केन्द्र सरकार में रोजगार अवसरों का संबंध है, अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को क्रमशः 15%, 7.5%, 27% और 10% आरक्षण अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सिविल पदों और सेवाओं में प्रदान किया जाता है। जहां तक सरकार में रिक्त पदों का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों सहित रिक्त पदों का सृजन और उन्हें भरा जाना एक निरंतर प्रक्रिया है।

भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, समाज के वंचित और हाशिये पर रहने वाले वर्गों, विशेष रूप से एससी और ओबीसी समुदाय के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-2015 में अपनी तरह का पहला, अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एससी) शुरू किया गया था। इसी तरह की एक योजना (वीसीएफ-बीसी) पिछड़ा वर्ग के लिए वर्ष 2017-2018 में शुरू की गई थी। वीसीएफ-एससी और वीसीएफ-बीसी के अंतर्गत क्रमशः 4% और 6% की कूपन दर पर 10 लाख रुपये से 15 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना पूरे देश में मान्य है।

इन योजनाओं का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को रियायती दर पर वित्त प्रदान करना है जो समाज के लिए धन और मूल्य का सृजन करेंगे और साथ ही अपने लाभप्रद व्यवसायों का संवर्धन करेंगे, जिससे इन समुदायों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन भी बढ़ेगा।

श्रम और रोजगार मंत्रालय देश भर में अ.जा./अ.ज.जा के लिए 25 राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्रों (एनसीएससी-एससी/एसटी) के नेटवर्क के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों के लिए "वेलफेयर ऑफ एससी/एसटी योजना" को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, व्यावसायिक परामर्श, करियर सलाह और कम्प्यूटर ट्रेंनिग इत्यादि द्वारा उनकी नियोजनीयता को बढ़ाना है ताकि उन्हें श्रम बाजार की मांगों के अनुरूप तैयार किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

*****